

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश,
लखनऊ -226010

का.आ. सं. म.ले.(ले.प.-II)/आई.टी.ए./फा.सं.-57/188

दिनांक: 23.12.2022

कार्यालय आदेश/Office Order

लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रस्तरो/ लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के निस्तारण हेतु महालेखाकार महोदया द्वारा आदेशित किया गया है कि लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रस्तर/लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के निस्तारण का प्राधिकार सम्बंधित समूह के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की संस्तुति उपरान्त, संबंधित समूह के वर्गाधिकारी में निहित होगा।

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदया का आदेश दिनांक: 22.12.2022)

The Accountant General has ordered that the authority for the settlement/closure of the Paragraphs of the Audit Inspection Report/Audit Inspection Report, being recommended by the Senior Audit Officer of the concerned wing, shall be vested in the Group Officer of the concerned Wing.

(Authority: Order of the Accountant General dated: 22.12.2022)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए.

का.आ. सं. म.ले.(ले.प.-II)/आई.टी.ए./ फा.सं.-57/194

तददिनांक

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-IV
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-III
3. उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-II
4. उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-I
5. सचिव महालेखाकार
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी. सेल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

लखनऊ
23/12/2022

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए.